न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 37 / 2018 एल.आर.एक्ट

1. आईदानराम पुत्र करणाराम जाति ढ़ाढी निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट

....

बनाम

1. सोनी पत्नी रामेश्वरलाल पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।
2. बादू पत्नी मोड़ू खां पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर । (आदेश दिनांक 18.12.18 द्वारा नाम हटाया गया)
3. गीता पत्नी गिरधारी पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर । (आदेश दिनांक 18.12.18 द्वारा नाम हटाया गया)
4. ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंटान

अपील संख्याः 38 / 2018 एल.आर.एक्ट

1. आईदानराम पुत्र करणाराम जाति ढ़ाढी निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट

....

बनाम

1. सोनी पत्नी रामेश्वरलाल पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।
2. बादू पत्नी मोड़ू खां पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर । (आदेश दिनांक 18.12.18 द्वारा नाम हटाया गया)
3. गीता पत्नी गिरधारी पुत्री गवरा पत्नी लालू जाति ढाढ़ी, निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर । (आदेश दिनांक 18.12.18 द्वारा नाम हटाया गया)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंटान

उपस्थितः 1– श्री रामावतार बुरी अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सीताराम अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 26.12.2018

1. उक्त दोनों अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा प्रथम अपील सं0 8/2015 व 7/2015 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 21–3–18 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है । उक्त दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवम् पक्षकार समान है । इसलिए उक्त दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।
2. दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा के खसरा नं0 84 तादादी 0.46 हैक्टेयर, खसरा नं0 120/2 तादादी 2.97 हैक्टेयर कुल तदादी 3.43 हैक्टेयर कृषि भूमि श्रीमती गवरा बेवा लालू कौम ढाढी के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । स्व. श्रीमति गवरा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की अपने जेठ के लड़के प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम के नाम से दिनांक 27–1–99 को उप पंजियक नोखा के समक्ष वसीयत निष्पादित करवादी, जो कि श्रीमति गवरा के साथ रहता था । वसीयत कर्ता श्रीमती गवरा का देहान्त हो जाने पर पटवारी हल्का, लालमदसेर द्वारा वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट श्री आईदानराम के पक्ष में दिनांक 6.3.11 को नामान्तरकरण सं. 609 दर्ज किया गया, जिस पर दिनाक 8.3.11 को निरीक्षक हल्का द्वारा अंकन का मिलान किया, जो पंचायत लालमदेसर द्वारा दिनांक 10–5–2011 को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 अनुसार वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 स्वीकृति के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज हुआ है । तत्पश्चात उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, नोखा के आदेश क्रमाक 22.9.14 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 811 दर्ज करने पर दिनांक 13.1.15 को तहसीलदार नोखा द्वारा विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया । विवादित भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनंक 10.5.11 एवम् तहसीलदार, नोखा द्वारा स्वीकृत विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13–1–15 के विरुध्द प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष दिनांक 1–4–2015 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत दो अपीलें क्रमशः 8/2015 व 7/2015 प्रस्तुत की गयी, जो उपखण्ड न्यायालय नोखा के निर्णय दिनांक 21–3–18 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज कर दी गयी । उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा पारित किये गये उक्त प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 21.3.18 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत दिनांक 18.5.18 को इस न्यायालय में दो अपीलें क्रमशः 37/2018 अनवान आईदानराम बनाम सोनी वगैरह ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा एवम् 38/2018 अनवान आईदानराम बनाम सोनी वगैरह तहसीलदार नोखा प्रस्तुत की गयी ।
3. उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा विवादित भूमि की रिलीज डीड रेस्पोन्डेंट सं01 सोनी के पक्ष में दिनांक 19.4.18 को कर दिया जाने से आदेश दिनांक 18.12.18 द्वारा इनका नाम अपील से हटाया गया। अतः प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 तथा उपस्थित राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।
4. अपील सं0 37/18 में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा के खसरा नं0 84 तादादी 0.46 हैक्टेयर, खसरा नं0 120/2 तादादी 2.97 हैक्टेयर कुल तदादी 3.4300 हैक्टेयर कृषि भूमि श्रीमती

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गवरा बेवा लालू कौम ढाढी के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । स्व. श्रीमति गवरा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की अपने जेठ के लड़के प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम के नाम से दिनांक 27–1–99 को उप पंजियक नोखा के समक्ष वसीयत निष्पादित करवादी । श्रीमती गवरा अपीलान्ट आईदानराम के साथ ही रहती थी । श्रीमती गवरा का देहान्त हो जाने पर वसीयत दिनांक 27.1.99 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 6.3.11 को वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दर्ज कर निरीक्षक हल्का से मिलान करवाया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दिनंक 10.5.2011 को स्वीकृत किया गया । उक्त स्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 में अपीलार्थी आईदानराम का नाम भी दर्ज हो गया था । परन्तु बाद में स्वीकृत शब्द से पूर्व "अ" शब्द जोड़ दिया गया, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी देखने से होती है । क्यों कि नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात ही अपीलान्ट के नाम से जमाबन्दी में प्रविष्टी आ सकती है । इस प्रकार वसीयत अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 609 में बाद की तारीख में " अ" लगाने से वह अस्वीकृत हो गया,जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से दिनांक 20.3.15 को हुई तब नोखा आकर नकल इन्तकाल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर उपखण्ड न्यायालय नोखा के समक्ष प्रथम अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को गुणावगुण पर निर्णीत नहीं करके मियाद बिन्दु के आधार पर ही प्रथम अपील सं0 8/2015 निर्णय दिनांक 21.3.18 द्वारा खारिज कर दी गयी । अतः उपखण्ड न्यायालय नोखा का निर्णय दिनांक 21.3.18 एवं सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपील सं0 38/18 में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम लालमदेसर बड़ा की कुल 3.43 हैक्टेयर बारानी भूमि गवरा बेवा लालू कौम ढाढी के नाम खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि को गवरा ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के नाम से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 27.1.99 निष्पादित करदी, जिसका वसीयती नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 स्वीकृत होकर जमाबन्दी में भी प्रविष्ट दर्ज हो चुकी थी, परन्तु बाद की तिथि में स्वीकृत के आगे "अ" शब्द अंकित कर सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर द्वारा वसीयति नामान्तरकरण अस्वीकृत करने के पश्चात तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनाक 22.9.14 के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 811 दर्ज किया जाकर दिनांक 30.1.15 को तहसीलदार नोखा से स्वीकृत करवा लिया गया है । जबकि नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवम् 45 दिवस की आवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाने पर तहसीलदार द्वारा विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया जाता है । इस प्रकरण में विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत के समक्ष पेश ही नहीं किया गया है । प्रकरण में विरास्तन इन्तकाल सं0 811 दिनांक 30.1.15 की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से दिनांक 20.3.15 को हुई, तब अपीलान्ट ने नोखा आकर दिनांक 20.3.15 को विरास्तन इन्तकाल सं0 811 की नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से अन्दर मियाद प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गयी । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगण पर अपील को सुने बिना मियाद बिन्दु पर ही प्रथम अपील सं0 7/2015 निरस्त कर दी गयी। अतः उपखण्ड न्यायालय नोखा का निर्णय दिनांक 21.3.18 एवं विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13.1.15 निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने दोनों अपीलों में अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम लालमदेसर बड़ा की कुल 3.4300 हैक्टेयर भूमि लालूराम के नाम से थी। लालूराम का देहान्त हो जाने पर जरिये विरास्तन इन्तकाल गौरा के नाम से दर्ज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुई थी । इस प्रकार भूमि स्व अर्जित होने से वसीयत नहीं की जा सकती थी । प्रकरण में वसीयति इन्तकाल सं0 609 दिनांक 10.5.11 को सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा निरस्त होने के पश्चात् तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 22.9.14 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 30.1.15 दर्ज किया जाकर स्वीकृत करवाया गया है । इस प्रकार तहसीलदार के मूल आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयति नामान्तरकरण सं. 609 दिनांक 10.5.11 एवम् विरास्त नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 30.1.15 के विरुध्द दिनांक 1.4.15 को प्रथम अपल प्रस्तुत की गयी है । उक्त दोनों अपीलें मियाद बाहर थी, क्योंकि अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी । इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 30.1.15 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील सं0 8/2015 व 7/2015 मियाद बिन्दु पर सही रुप से खारिज की गयी है । अतः उपखण्ड न्यायालय, नोखा के निर्णय दिनांक 21.3.18 के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी दोनो अपीलें अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. राज्य पक्ष की ओर से श्री सुभाष सहू ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा प्रथम अपील सं0 8/2015 व 7/2015 में नियमानुसार ही निर्णय दिनांक 21.3.18 पारित किया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमाई जावे ।

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पक्षकारों की बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख से निम्नप्रकार स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा के खसरा नं0 84 तादादी 0.46 हैक्टेयर, खसरा नं0 120/2 तादादी 2.97 हैक्टेयर कुल तदादी 3.43 हैक्टेयर कृषि भूमि श्रीमती गवरा बेवा लालू कौम ढाढी के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । स्व. श्रीमति गवरा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की अपने जेठ के लड़के प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम के नाम से दिनांक 27–1–99 को उप पंजियक नोखा के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करवादी, जो कि श्रीमति गवरा के साथ रहता था। वसीयत कर्ता श्रीमती गवरा का देहान्त हो जाने पर पटवारी हल्का, लालमदसेर द्वारा वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट श्री आईदानराम के पक्ष में दिनांक 6.3.11 को नामान्तरकरण सं. 609 दर्ज किया गया, जिस पर दिनाक 8.3.11 को निरीक्षक हल्का द्वारा अंकन का मिलान किया, जो पंचायत लालमदेसर द्वारा दिनांक 10–5–2011 को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 अनुसार वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 स्वीकृति के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज हुआ है ।

II. वसीयति नामान्तरकरण 609 दिनांक 10.5.11 को ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत करने के 3 वर्ष 7 माह पश्चात् तहसीलदार, नोखा द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 811 दिनांक 30.1.15 स्वीकृत किया गया है । जबकि नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवम् 45 दिवस की आवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया जाता है ।

III. प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनंक 10.5.11 एवम्

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार, नोखा द्वारा स्वीकृत किये गये विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13–1–15 के विरुध्द प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष दिनांक 1–4–2015 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत दो अपीलें क्रमशः 8/2015 व 7/2015 प्रस्तुत की गयी । उक्त दोनों अपीलें उपखण्ड न्यायालय नोखा के निर्णय दिनांक 21–3–18 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है ।

IV. मियाद के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्व. गवरा पत्नी लालू के नाम से दर्ज थी तथा स्व. गवरा ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 27.1.99 को प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम के हक में कर दी थी । इसलिए उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा । अगर इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें वसीयत को चैलेंज करना चाहिये था । प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा पूर्व में वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 को स्वीकृत किया गया था एवं स्वीकृति के आधार पर जमाबन्दी में प्रविष्टि दर्ज हुई है। परन्तु बाद में स्वीकृत शब्द के आगे ''अ'' शब्द लगाकर अस्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई । तत्पश्चात तहसीलदार नोखा द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13.1.15 स्वीकृत कर दिया गया । उक्त दोनों नामान्तरकरणों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी एवम् दोनों नामान्तरकरणों में सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 20.3.15 को हुई तथा जानकारी से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलें अन्दर मियाद पेश की गयी है ।

9- उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवाादित भूमि ग्राम लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा के खसरा नं0 84 तादादी 0.46 हैक्टेयर, खसरा नं0 120/2 तादादी 2.97 हैक्टेयर कुल तदादी 3.43 हैक्टेयर श्रीमती गवरा बेवा लालू कौम ढाढी के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । स्व. श्रीमति गवरा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की अपने जेठ के लड़के प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम के नाम से दिनांक 27–1–99 को उप पंजियक नोखा के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करवाई गयी है। वसीयत कर्ता श्रीमती गवरा का देहान्त हो जाने पर पटवारी हल्का, लालमदसेर द्वारा वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट श्री आईदानराम के पक्ष में दिनांक 6.3.11 को नामान्तरकरण सं. 609 दर्ज किया गया, जिस पर दिनाक 8.3.11 को निरीक्षक हल्का द्वारा अंकन का मिलान किया, जो पंचायत लालमदेसर द्वारा दिनांक 10–5–2011 को अस्वीकृत किया गया, जबकि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 अनुसार वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 स्वीकृति के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज होने से अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन को बल मिलता है कि सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा पूर्व में वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 को स्वीकृत किया गया था एवं स्वीकृति के आधार पर जमाबन्दी में प्रविष्टि दर्ज हुई है। परन्तु बाद में स्वीकृत शब्द के आगे ''अ'' शब्द लगाकर अस्वीकृत कर दिया गया हो इस कारण अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं हुई । प्रकरण में वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनांक 10.5.11 को ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत करने के 3 वर्ष 7 माह पश्चात् तहसीलदार, नोखा द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 811 दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

30.1.15 को स्वीकृत किया गया है । जबकि नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवम् 45 दिवस की आवधि में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही नहीं किये जाने पर ही तहसीलदार द्वारा विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया जाता है। प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा अस्वीकृत किये गये वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 दिनंक 10.5.11 एवम् तहसीलदार, नोखा द्वारा स्वीकृत विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13–1–15 के विरुध्द प्रार्थी अपीलान्ट आईदानराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष दिनांक 1–4–2015 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत दो अपीलें क्रमशः 8/2015 व 7/2015 प्रस्तुत की गयी । उक्त दोनों अपीलें उपखण्ड न्यायालय नोखा के निर्णय दिनांक 21–3–18 द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है , जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम से रजिस्टर्ड वसीयत है, परन्तु वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की नियमानुसार तहसीलदार द्वारा सरसरी जांच नहीं की गयी है एवम् विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी दोनों अपीलें आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा अपील सं0 8/15 व 7/2015 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.18 निरस्त किया जाता है एवम् सरपंच, ग्राम पंचायत लालमदेसर बड़ा द्वारा वसीयति नामान्तरकरण सं0 609 पर दिया गया आदेश दिनांक 10.5.11 एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार नोखा द्वारा स्वीकृत किया गया विरास्तन नामान्तरकरण सं0 811 दिनांक 13.1.15 निरस्त किया जाता है एवम् इसके आधार आगे स्वीकृत नामान्तरकरण 1013 दिनांक 28.5.18 भी निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रथमतः अपीलान्ट के पक्ष में हुई वसीयत दिनांक 27.1.99 के सम्बन्ध में सरसरी जांच की जावे, यदि वसीयत सही पाई जाती है तो वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे एवम् जांच में यदि वसीयत सही नहीं पाई जाती है तो नियमानुसार मु. गवरा के विधिक वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने का आदेश पारित किया जावे । तब तक विवादित भूमि के मौके की स्थिति यथावत रखी जावे ।

10- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर